हमारा शासन और प्रशासन

हमारा शासन और प्रशासन

संस्करण/श्रृंखला
प्रथम/ लोकशासन 1/2013

रुपरेखा
रवि मिश्रा

प्रकाशक
उरमूल सीमांत समिति बज्जू
पावर ग्रिड के पास, बज्जू
बीकानेर-334305, राजस्थान
फोन नंबर-01535-232034

प्रकाशन सहयोग
प्लान इंडिया

इस किताब की प्रति पाने के लिए कृप्या ऊपर दिए पते पर उरमूल सीमांत को संपर्क करें

हमारा शासन और प्रशासन

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद (दांए)
राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए

अनुक्रमणिका

परिचय.....1

केन्द्र सरकार

राजनैतिक कार्यपालिका.....3
राष्ट्रपति.....3
प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद.....16
प्रशासनिक कार्यपालिका.....19
केन्द्रीय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय.....19
विधायिका.....25
राज्यसभा.....25
लोकसभा.....27
न्यायपालिका.....31
सर्वोच्च न्यायालय.....31

राज्य सरकार

राजनैतिक कार्यपालिका.....37
राज्यपाल.....38
मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद.....43
स्थानीय शासन–पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकाय.....45
प्रशासनिक कार्यपालिका.....58
राज्य सचिवालय.....58
राज्य प्रशासन.....59
जिला प्रशासन.....60
जिला स्तर से नीचे का प्रशासन.....66
विधायिक.....69
विधानमंडल–विधानसभा, विधान परिषद.....69
न्यायपालिका.....74
उच्च न्यायालय.....74
अधीनस्थ नयायालय.....75

परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र शब्द का मतलब है, लोगों का तंत्र। इस तंत्र में ''जनता के द्वारा-जनता के लिए-जनता का शासन'' व्यवस्था होती है। भारत में ऐसी ही शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। इसकी शुरुआत आपके वोट देने से होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे गांव में भी चुनाव होते हैं। जिसमें हमारे बीच से ही कोई व्यक्ति सरपंच के पद के लिए खड़ा होता है। चुनाव जीतने वाला वह उम्मीदवार सरपंच बनता है।

हमारे शासन को चलाने के लिए संविधान में एक संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। जिसे सरकार कहा जाता है। केन्द्रीय स्तर की सरकार को केन्द्र सरकार तथा राज्य स्तर सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है। गांव स्तर पर इस कार्य को पंचायती राज द्वारा निभाया जाता है। शासन को सुगम और सही तरीके से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता भी पड़ती है। सरकार के तीन अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका। इस किताब में हम इन तीनों अंगों के माध्यम से भारत के शासन और प्रशासन के बारे में जानेंगे।

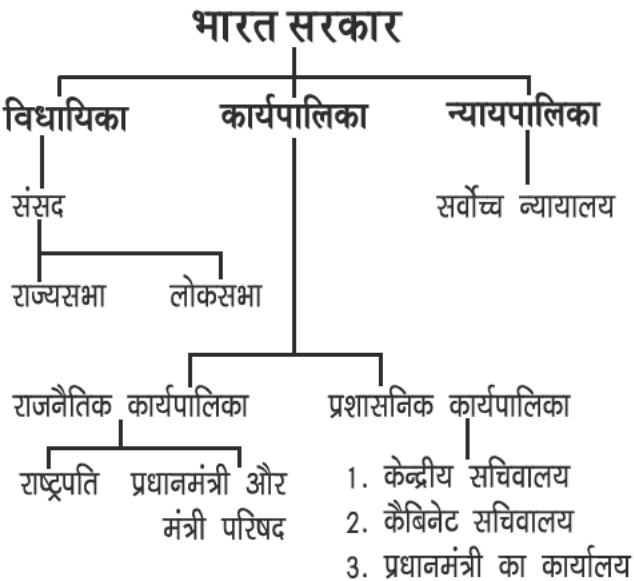

इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से हमारी शासन और प्रशासन व्यवस्था को जान सकते हैं। सरकार के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित शासन और प्रशासन यहां दिए गए हैं। कार्यपालिका का प्रशासनिक अंग जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं, शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया प्रशासन तंत्र है।

राजनैतिक कार्यपालिका

भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर राजनैतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं।

राष्ट्रपति

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को देश में सर्वोच्च नागरिक का दर्जा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति और देश का राष्ट्राध्यक्ष भी होता हैं।

योग्यता– राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो।
4. वह किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो अर्थात प्रत्याशी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तथा केन्द्र या राज्यों में मंत्री, सांसद के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता।

निर्वाचन– राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं।

कार्यकाल– राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। वह अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि स्थापित परम्परा के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है।

विशेषाधिकार– भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए गए हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं दिए गए।

1. वह अपने कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
2. राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध किसी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही की जा सकती है।

3. राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
4. राष्ट्रपति पर कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम दो महीने का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

महाभियोग– महाभियोग एक ऐसी अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च पद पर आसीन किसी लोक सेवक, जैसे भारत का राष्ट्रपति, को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कम से कम सदन के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए केवल तभी दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सकता है।

राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच दूसरे सदन द्वारा की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। यदि आरोपों को दूसरे सदन के कुल

सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, तो महाभियोग पारित हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद मुक्त हो जाता है।

राष्ट्रपति पद का रिक्त होना– जब भी मृत्यु, त्याग पत्र अथवा महाभियोग के कारण, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है, परंतु यह कार्यकाल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन छह महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। नव निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अर्थात पांच वर्ष के लिए बना रहता है। जब राष्ट्रपति डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में हुई, तो उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया और छह महीने के अंदर नए राष्ट्रपति (संजीव रेड्डी) का चुनाव हो गया।

यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो (कारण छह महीने से पूर्व मृत्यु या त्यागपत्र हो सकता है) तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लेते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधन 1969 में उस समय पारित किया गया जब

राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने त्याग पत्र दे दिया था। यदि कोई राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्थाई रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है, तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का वहन कर सकता है।

राष्ट्रपति की शक्तियां

कार्यपालिका संबंधी शक्तियां– राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्री-परिषद।

1.राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसके परामर्श पर शेष मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और उसी की सलाह पर वह किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा भी सकता है।

2. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सभी न्यायिक नियुक्तियों को करते समय वह

मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इसके अतिरिक्त वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से जिसे वह ठीक समझता है, परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल की भी सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करता है।

परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के निर्णय के अनुसार जिसकी 1999 में पुनः व्याख्या की गई, राष्ट्रपति सभी न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठत्तम न्यायाधीशों की नामसूची खण्ड की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को **सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम** कहा जाता है।

3. राष्ट्रपति, भारत के महान्यायावादी, महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्यों के राज्यपाल तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों की भी नियुक्ति करता है।

4. राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। इस नाते वह थल, जल तथा वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां करता है।

5. राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा शांति सन्धि भी कर सकता है।

6. राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, वह देश के विदेश संबंधी मामलों की भी देखभाल करता है। वह दूसरे देशों के लिए भारत के राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों की नियुक्ति करता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों और आयुक्तों का स्वागत करता है। सभी कूटनीतिक कार्य विदेशों में हमारे दूतावास तथा राजदूतों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते उसी के नाम से ही होते हैं।

7. वह संघीय संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को लागू करता है। केन्द्रीय मंत्री-परिषद की सलाह से अपने द्वारा नियुक्त सभी अधिकारियों को जैसे राज्यपाल को राज्य से और विदेश में कार्यरत भारतीय राजदूतों को वह हटा सकता है या वापिस बुला सकता है।

8. राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता रहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका के किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को केवल एक बार कह सकता है। वह किसी मंत्री के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी मंत्रीमंडल को कह सकता है।

विधायी शक्तियां– संसद का अभिन्न अंग होने के नाते, राष्ट्रपति को अनेक विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। ये शक्तियां इस प्रकार हैं

1. राष्ट्रपति संसद के सदनों के अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उनकी बैठक स्थगित कर सकता है। वह संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार बुला सकता है परंतु किन्हीं भी दो सत्रों के बीच छह मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोक सभा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर सकता है। सामान्य स्थिति में वह लोक सभा पांच वर्ष के पश्चात् ही भंग करता है।

2. वह राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, खेलकूद तथा समाज सेवा के क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं।

राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने अपने कार्यकाल में सचिन तेंदुलकर को खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए राज्यसभा का सांसद मनोनित किया ।

3. यदि लोक सभा में किसी साधारण विधेयक के मामले में लोक सभा और राज्य सभा में सहमति न बन पाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

4. राष्ट्रपति को संसद को सम्बोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। वह प्रत्येक वर्ष होने वाली संसद के दोनों सदन की प्रथम बैठक एवं आम चुनाव के बाद होने वाली संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करता है।

5. संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है। वह स्वीकृति प्रदान करता है अथवा पुनर्विचार के लिए ससंद को वापिस भेज सकता है। यदि संसद इस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।

वित्तीय शक्तियां– भारत का वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि सरकार चलते वित्तीय वर्ष के बीच में यह अनुभव करे कि उसे वार्षिक बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि चाहिए, तो वह पूरक बजट भी प्रस्तावित कर सकता है।

2. सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारत की **आकस्मिक निधि** पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। आकस्मिक निधि केन्द्रीय सरकार की ऐसी निधि है, जिससे किसी आवश्यक आकस्मिक खर्चे को पूरा किया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह इसी में से पैसा निकालने की आज्ञा देता है।

न्यायिक शक्तियां– राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानूनों को तोड़ने के लिए दोषी पाए गए अपराधियों को क्षमादान देने, दंड को कम करने अथवा दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। वह कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत वह उस व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है जिसे मृत्यु दंड दिया गया है।

संलेखों में संशोधन की शक्ति- 'महामहिम' की जगह 'महोदय' शब्द से संबोधन- औपनिवेशिक काल में गणमान्य लोगों के सम्मान में इस्तेमाल किए जाने वाले संबोधन 'हिज एक्सीलेंसी' और 'महामहिम' जैसे

शब्द का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। ब्रिटिश कानून से लिये गए इन संलेखों का प्रयोग अब भारत में नहीं किया जायेगा। वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर ऐतराज जताते हुए इन शब्दों की जगह अब 'महोदय' करके संबोधित करने के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों के साथ ही राष्ट्रपति ने संलेखों के प्रोटोकॉल में भी संशोधन किया है। अब अपने देश सहित सभी देशों में मौजूद भारतीय दूतावास, भारत सहित विदेश में कार्यरत भारतीय उच्च अधिकारियों के समक्ष राष्ट्रपति को 'हिज एक्सीलेंसी' अथवा महामहिम की जगह पर 'राष्ट्रपति महोदय' से ही संबोधित किया जायेगा। इसी तरह देश के सभी राज्यपाल भी महोदय शब्द से ही संबोधित किये जायेंगे।

इसके अलावा भारतीय परंपरा के मुताबिक अब नाम से पहले श्री या श्रीमती का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, विदेशी उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परंपरा का पालन करते हुए एक्सीलेंसी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति

1. डॉ. राजेंद्र प्रसाद – 1950–1962
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् – 1962–1967
3. डॉ. जाकिर हुसैन – 1967–1969
   वराहगिरी वेंकट गिरी – 1969 में (3 माह)
   मुहम्मद हिदायतुल्लाह – 1969 में (1 माह)
4. वराहगिरी वेंकट गिरी – 1969–1974
5. डॉ. फखरुद्दिन अली अहमद – 1974–1977
   बसपा दनाप्पा जत्ती – 1977 में (6 माह)
6. नीलम संजीव रेड्डी – 1977–1982
7. ज्ञानी जैल सिंह – 1982–1987
8. रामस्वामी वेंकटरमण – 1987–1992
9. डॉ. शंकर दयाल शर्मा – 1992–1997
10. कोच्चेरी रामण नारायण – 1997–2002
11. डॉ. ऐ. पी. जे. अबदुल कलाम – 2002–2007
12. प्रतिभा देवीसिंह पाटिल – 2007–2012
13. प्रणब मुखर्जी– 2012 से वर्तमान

उपराष्ट्रपति– भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय

मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए–

1. वह भारत का नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. वह किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो तथा राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पांच वर्ष के लिए होता है।

उपराष्ट्रपति के कार्य– उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होता है जिसका अर्थ यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्य सभा के सभापति के रूप में अपना दायित्व निभाएगा। उसके कार्यों में सदन में व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने तथा प्रश्न पूछने की अनुमति देना और विधेयकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करवाना है।

प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद

राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मंत्री-परिषद करती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग और परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री-परिषद होगा जिसके बिना राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं चला सकता। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष है परंतु प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति– प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु उसे प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। सामान्यतया, उसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। यदि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वह उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे दो या दो से अधिक दलों के समर्थन से लोक सभा में बहुमत प्राप्त है। यद्यपि ऐसा भी हुआ है जब राज्य सभा के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा तब हुआ जब इंदिरा गांधी को 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1997 में इंद्रकुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने या जब राज्य सभा के सदस्य

डॉ. मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने। 1996 में एच. डी. देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बने और बाद में वे राज्य सभा के सदस्य बन गए।

मंत्री परिषद– प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री-परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रों, धार्मिक और जातिगत समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। मंत्री-परिषद में दो प्रकार के मंत्री होते हैं। ये हैं, **कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री**। कैबिनेट मंत्री प्रायः दल तथा घटक दलों के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के बाद का दर्जा प्राप्त है। कुछ राज्य मंत्रियों के पास किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार होता है जो केन्द्रीय मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। कभी-कभी मंत्रियों के सहयोग के लिए उपमंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है।

प्रधानमंत्री के कार्य– प्रधानमंत्री केन्द्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अधिकारी होता है। वह सरकार का अध्यक्ष तथा लोक सभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के

2. प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कार्यवाही को चलाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल के बीच की कड़ी है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। वह सरकार की सभी नीतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता।

3. वह दक्षेस (सार्क) देशों, संयुक्त राष्ट्र तथा गुट-निरपेक्ष देशों की बैठकों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों के साथ होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्पन्न होती हैं। वह देश की नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता होता है।

संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अपना भाषण देते भारतीय डॉ. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

प्रशासनिक कार्यपालिका

शासन को सुचारु रुप से चलाने के लिए केन्द्र स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संगठन केंद्रीय सचिवालय होता है। जो कि मंत्रालयों, विभागों और स्वतंत्र एजेंसियों यानी बोर्डो और समितियों से बना हैं। इसी तरह मंत्रिमण्डल के कार्यो के लिए कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री के कार्यो के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का गणन किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय– भारत सरकार का कामकाज मंत्रालयों और विभागों में बंटा है। इन सभी को मिलाकर केन्द्रीय सचिवालय बनता है। केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक सामान्य नाम केन्द्रीय सचिवालय के नाम से जाना जाता है। मंत्रालयों का राजनीतिक मुखिया मंत्री और प्रशासनिक मुखिया सचिव होता है। दो या अधिक अंगों का केन्द्र विभाग होता है। एक अंग में दो या उससे अधिक खंड होते हैं। सबसे निचले स्तर पर कार्यालय होता है, जिसमें कई सचिवालय हो सकते हैं। मंत्रालय में एक या अधिक विभाग होते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में मंत्रियों को सलाह देना है।

सचिवालय का संरचानत्मक चार्ट

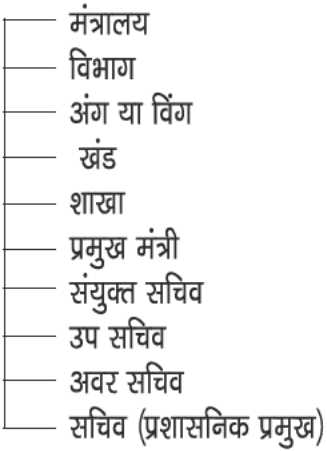

केन्द्र में सरकार के तीन महत्वपूर्ण अवयव हैं, **मंत्री** जो नीतिगत निर्णय लेते हैं, **सचिव** जो कि इस निर्णय तक पहुंचने के लिए सलाह व सामग्री उपलब्ध कराते हैं और निर्णय के क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं तथा **कार्यकारी प्रमुख** जो कि निर्णय को प्रभाव में लाते हैं।

सचिव किसी विशेष मंत्री का नहीं अपितु संपूर्ण केन्द्रीय सरकार का सचिव होता है। सचिवालय में नीति निर्धारण, समन्वय और निरीक्षण का काम करता है। सचिवालय का प्राथमिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित

मामलों में मंत्रियों की सहायता करना और सलाह देना है।

1. समय–समय पर नीतियां बनाना और उसमें परिवर्तन करना
2. विधायी कानून बनाना और उनका नियंत्रण
3. विभिन्न खंडों की योजनाएं और कार्यक्रम बनाना
4. खर्च का बजट बनाना और नियंत्रण करना
5. क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियों के कार्यक्रमों और नीतियों तथा परिणामों के आंकलन और नियंत्रण का निष्पादन करना।

कैबिनेट सचिवालय– कैबिनेट सचिवालय का गठन 1947 में हुआ था। इसे मंत्रिमण्डलीय सचिवालय भी कहा जाता है। संगठन और कार्यशैली के आधार पर इसे केन्द्र का दूसरा प्रशासनिक तंत्र कहा जा सकता है। इसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा कैबिनेट का सचिव इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। वर्तमान में मंत्रिमण्डलीय सचिवालय के तीन अंग हैं– असैनिक, सैनिक और खुफिया। 1988 में लोक शिकायत निदेशालय को इसका एक अंग बनाया गया। कैबिनेट सचिवालय विभिन्न विषयों पर सलाहकार होते हैं जो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं।

कैबिनेट सचिवालय के मुख्य कार्य– अध्यादेश जारी करने सहित अन्य विधायी मामलों को देखना

2. राष्ट्रपति का संबोधन और संदेश तैयार करना
3. संधियों और समझौतों पर विदेशों से वार्ता से जुड़े मामलों को देखना
4. विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी पद पर व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव बनाना
5. जांच के लिए सार्वजनिक समितियां नियुक्ति करने का प्रस्ताव तथा इस तरह की जांच रिपोर्टों पर विचार करना
6. वित्तीय मामलों को देखना
7. मामले जिसे मंत्री निर्णय व निर्देश के लिए मंत्रिमण्डल के समक्ष रखते हैं। मंत्रालयों के बीच असहमति संबंधी मामलों को देखना
8. विरोधाभाषी निर्णयों के प्रस्ताव तैयार करना
9. ऐसे मामले जिन्हें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के सामने रखने की जरूरत पड़ती है।
10. सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियोजन को हटाने का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री कार्यालय– सरकार के प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री देश की

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है। अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसे प्रधानमंत्री कार्यालय **(पी.एम.ओ)** से मदद मिलती है। यह प्रधानमंत्री को सचिवालय संबंधी सहायता और निर्णायक सलाह देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार में सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि यह एक संविधानेत्तर इकाई है, लेकिन इसे भारत सरकार के एक विभाग की हैसियत प्राप्त है। इससे जुड़ा या इसके नीचे कोई कार्यालय नहीं है।

पी.एम.ओ के कार्य– पी.एम.ओ का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान (मुख्य) सचिव होता है। इसमें कुछ अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी होते हैं।

प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह निम्नलिखित क्रियाकलापों को संपादित करता है

1. कार्यालय में सभी सरकारी दस्तावेजों को निपटाता है
2. प्रधानमंत्री के समक्ष आदेश और निर्देश के लिए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी पेश करता है

3. महत्वपूर्ण शख्सियतों के साथ प्रधानमंत्री की होने वाली बैठकों का मसौदा तैयार करता है

संसद भवन

विधायिका

सरकार की गतिविधियों को चलाने वाली व्यवस्थापिका या विधायिका, **संसद** है। नई दिल्ली में स्थित संसद भवन में ही इसका कार्यालय है। संसद में दो सदन होते हैं। पहला **राज्यसभा** जिसे स्थायी एवं उच्च सदन कहते हैं। दूसरा **लोकसभा** जिसे अस्थायी एवं निम्न सदन कहते हैं।

राज्यसभा– राज्यों की परिषद को राज्य सभा कहा जाता है। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए नामों में से चुनकर राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। दरअसल, यह वह लोग होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होता है।
राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है।

कार्यकाल और निर्वाचन– राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में हर

2 साल में राज्यसभा में चुनाव होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में होंगे। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होने के चलते उसके 34 प्रतिनिधि राज्यसभा में है। जबकि नगालैंड का सिर्फ 1 प्रतिनिधि ही राज्यसभा का सदस्य है।

राज्यसभा के सदस्यों का मुख्य कार्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों में सरकार का मार्गदर्शन करना है। राज्यसभा के सदस्य सरकार द्वारा बनाई गई समितियों के सदस्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कृषि संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति आदि। इन समितियों के माध्यम से सरकार द्वारा पूरे भारत में होने वाले कार्यों में यह समितियां सरकार का मार्गदर्शन करती है। उनकी दिक्कतों को सुलझाने के लिए सुझाव देती हैं। सरकार से सवाल-जवाब भी करती है। सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशी का हिसाब-किताब की निगरानी भी करती है। वर्ष 2008 में राज्यसभा में एक नई समिति का गठन किया गया है। जिसका नाम मीडिया सलाहकार समिति है।

लोकसभा– लोकसभा संसद का दूसरा सदन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव हमारे वोट देने से होता है। हम अपने क्षेत्र से वोट देकर एक सांसद को जिताते हैं। यह सांसद, संसद में हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। वह हमारे क्षेत्र की समस्याओं को संसद के समक्ष रखते है। आपकी मांगों को संसद में रखते है। जिससे की सभी समस्याएं सुलझाने में मदद मिले।

लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। इनमें 230 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधी होते हैं। जबकि 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 554 है। इनमें 485 पुरुष और 59 महिला सांसद हैं। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। सत्र वह समय होता है जब सभी सांसद, संसद में मिलकर अपनी बातों को रखते हैं। पूरे साल में लोकसभा में तीन सत्र लगते हैं।

बजट सत्र– देश की अर्थव्यवस्था बनाये रखने और आयात-निर्यात सहित दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के मूल्य का उतार-चढ़ाव साल भर रहता है। इन सभी का ध्याान में रखकर सरकार देश का बजट तैयार करती है।

इस बजट में नई प्रणालियों की शुरुआत, पहले से चल रही प्रणालियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बस से लेकर रेल और हवाई जहाज तक का किराया सब बजट के आधार पर ही तय होता है। दरअसल, बजट हमारी रसोई से लेकर संसद भवन तक की हरेक चीज के मूल्य को तय करता है। यह सत्र फरवरी से मार्च महीने के बीच लगता है। बजट को जनता के समक्ष सभी सांसदों की सहमति के बाद रखा जाता है।

मानूसन सत्र– यह जुलाई से सितंबर के बीच लगता है। जिसमें देश की सभी गतिविधियों के बारे में चर्चा होती है।

शीतकालीन सत्र– यह नवंबर से दिसंबर के बीच लगता है। जिसमें अगले वर्ष की गतिविधियों की योजना के बारे में चर्चा होती है।

प्रश्नकाल– सत्र की बैठक के दिन का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। जिसमें प्रश्न पूछें जाते हैं, और उनका उत्तर दिया जाता है।

लोकसभा के पदाधिकारी– लोकसभा के सभापति को **अध्यक्ष** कहा जाता है। उसे सदन के सदस्य निर्वाचित

करते हैं। यदि लोकसभा भंग कर दी जाए, तो भी वह तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया अध्यक्ष नहीं चुन लेता। उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष जिसका निर्वाचन भी सदन ही करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों को, लोक सभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से अपदस्थ किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां तथा कार्य नीचे दिए जा रहे हैं:

1. अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उन्हें अनुशासित ढंग से चलाना है। उसकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य सदन में बोल नहीं सकता। वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है और यदि सदस्य ऐसा न करे तो वह आदेश दे सकता है कि उसके भाषण का अभिलेखन न किया जाए।

2. सभी विधेयक, रिपोर्ट तथा प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। वह विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करवाता है। वह स्वयं मतदान में भाग नहीं लेता। परंतु जब भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है अर्थात पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर के मत समान हो जाते हैं, तो वह अपना, निर्णायक मत डाल सकता है।

परंतु उससे यह आशा की जाती है कि मतदान करते समय उसकी निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता बनी रहे।

बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल,
लोकसभा में जनता की मांग को रखते हुए

न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। यह मूल अधिकारों की रक्षा करती है तथा संविधान के संरक्षक के रुप में कार्य करती है।

सर्वोच्च न्यायालय– सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश होते हैं। यदि संसद आवश्यक समझे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। समय-समय पर संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। प्रारम्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश को **भारत का मुख्य न्यायाधीश** भी कहा जाता है। जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थान खाली होता है अथवा उसके खाली होने की संभावना होती है तो मुख्य न्यायाधीश सहित चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, कई नामों पर चर्चा करने के पश्चात् उन नामों की सिफारिश करते हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति किया जा सकता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की पहले 1993 और फिर 1999 की संविधान पीठ द्वारा किए गए निर्णय पर आधरित है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के पास है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के 1999 के निर्णय ने राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने को बाध्य कर दिया है। अब यह शक्ति न्यायाधीशों के समूह के पास चली गई है जिसे **कोलेजियम** कहा जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक रह गई है कि वह विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति करे।

योग्यताएं और कार्यकाल – कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है यदि वह

भारत का नागरिक है और कम से कम पांच वर्ष के लिए किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, **अथवा** वह कम से कम दस वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुका हो **अथवा** राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई प्रख्यात न्यायाविद् हो।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।

अभिलेख न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णय और फैसले यहां पर संजोकर रखे जाते हैं जिन्हें देश के सभी न्यायालयों द्वारा संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं इन्हें कानून के समान मान्यता प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर दंड देने का अधिकार है।

जनहित याचिका (पी.आई.एल)- प्रारम्भिक दौर में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका केवल उन्हीं के मुकदमें सुनने के लिए स्वीकार करती थी जो प्रत्यक्ष या

परोक्ष रूप से प्रभावित होते थे। यह केवल मूल तथा अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र के ही मुकदमें सुनती थी और उन पर फैसला सुनाती थी। परंतु बाद में न्यायपालिका जनहित याचिकाओं पर आधारित मुकदमें भी सुनने लगी।

इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग भी जिनका किसी मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, न्यायालय में कोई जनहित का मामला ला सकते हैं। यह न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वह उस जनहित याचिका को स्वीकार करे या न करे। जनहित याचिका की अवधारणा को न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने शुरू किया था। जनहित याचिका अब इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि इससे समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को सुगमता से न्याय मिलने लगा है। पत्रकारों, वकीलों तथा समाज सेवकों, यहां तक की समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर भी, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक जनहित याचिकाएं स्वीकार की हैं। आइए, यह जानने के लिए कि जनहित याचिकाओं ने किस प्रकार लोगों को न्याय दिलवाया है, कुछ उदाहरण देखें।

जनहित याचिकाओं के द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाए गए लोगों को, जिन पर मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें कई अधिकार दिलाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने

कई कैदियों को बिना मुकदमा चलाए ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहाई के आदेश दिए हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी न्यायिक व्यवस्था अथवा नौकरशाही की अक्षमता या अयोग्यता से कम नहीं कही जा सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों, जनजातियों, गंदी बस्तियों के निवासियों, नारी उद्धार गृहों में रहने वाली महिलाओं, बाल सुधार गृहों के बच्चों तथा बाल मजदूरों को मुक्त कराने के लिए कई कदम उठाए हैं।

पर्यावरण के प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ कारखानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकाधिक निर्णय लेने के कारण जनहित याचिकाओं का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र के माध्यम से न्यायालय तक पहुंच सकता है और यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मामला जनहित का है, तो वह उसी पत्र को याचिका मान सुनवाई के निर्देश दे सकता है ताकि जनहित की रक्षा की जा सके।

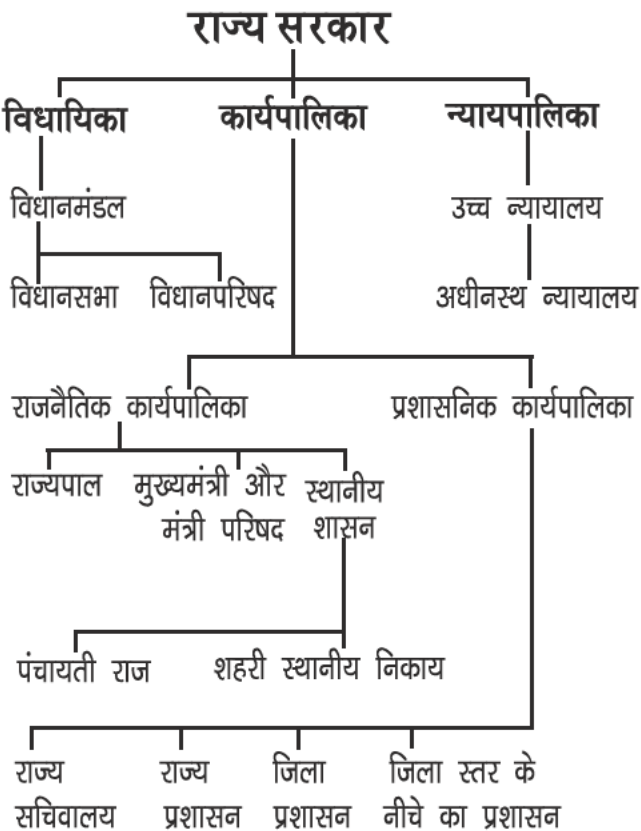

राज्य का ढांचा भी केन्द्र स्तरीय ढांचे की तरह ही होता है। राज्य में स्थानीय शासन की व्यवस्था उसे केन्द्र सरकार से भिन्न बनाती है। आईये विस्तार से जानें

राजनैतिक कार्यपालिका

राज्य कार्यपालिका का गठन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर करते हैं, परन्तु लोकतंत्र में स्थानीय शासन को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना की केन्द्र शासन को। विभिन्न आयोगों और कमेटियों की सिफारिशों और सुझावों के परिणामस्वरुप संविधान में 74वां संशोधन एक्ट किया गया। वर्ष 1992 में इसे लागू किया गया।

इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना, उनका सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली को वैधानिक रुप दिया। हालांकि इससे पहले से ही स्थानीय शासन के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में चल रही थी, परन्तु उसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के दूसरे ही साल 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन एक्ट किया गया। इस एक्ट में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए ग्राम स्तर से लेकर राज्य और केंन्द्र स्तर द्वारा संचालित 29 विभागीय कार्य करने के अधिकार भी दिए गए।

राजनैतिक कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सहित स्थानीय शासन भी शामिल है।

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल को उसी राज्य में या किसी दूसरे राज्य में पुनः नियुक्ति करने पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता परंतु नियुक्त किया जाता है।

योग्यताएं– राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और
- अपने कार्यकाल में किसी अन्य लाभ वाले पद पर नहीं रह सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधायिका का अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो वह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं रहता अर्थात पदमुक्त माना जाता है।

राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाती है परंतु प्रायः राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है।

राज्यपाल की शक्तियां– राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं–

1. राज्य का प्रमुख होने के नाते

2. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।

राज्य का मुखिया होने के नाते इसकी शक्तियों के अंतर्गत, आप इसकी कार्यपालिका संबंधी, विधायी, वित्तीय तथा क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।

कार्यकारी शक्तियां– राज्य में सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। वह न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है। स्थापित परम्परा के अनुसार विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को अथवा किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में कुछ दलों के गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों में विभागों का विभाजन करता है।

राज्यपाल राज्य के महान्यायवादी और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है।

वह उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किन्तु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है।

विधायी शक्तियां– राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग है तथा उसकी अनेक विधायी शक्तियां भी हैं।

1. उसे राज्य विधान मंडल की बैठक बुलाने या स्थगित करने का अधिकार है। वह चाहे तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के परामर्श पर विधान सभा को भंग भी कर सकता है। वह राज्य की विधानसभा को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर सकता है। वह किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है।

2. यदि राज्यपाल के विचार में आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो, तो राज्यपाल इस समुदाय के एक सदस्य को विधान सभा के लिए मनोनीत कर सकता है।

3. जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां का राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनीत सदस्य साहित्य,

कला, विज्ञान, सहकारिता अथवा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं।

4. किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे, ऐसा होने पर विधेयक कानून बन जाता है। अगर राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देने की बजाए अपने पास रख ले तो इस स्थिति में विधेयक कानून नहीं बन पाता। राज्यपाल कुछ संशोधनों सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि सदन इस विधेयक को संशोधित करके या मूल रूप से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दे, तो वह स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता।

वित्तीय शक्तियां— राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

2. राज्य का वार्षिक बजट तथा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के नाम से ही, विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

3. राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है।

क्षमादान की शक्ति– राज्यपाल के पास राज्य स्तर के न्यायालय द्वारा दण्डित किसी अपराधी को उस राज्य के किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने पर मिले दण्ड को माफ, स्थगित अथवा कम करने की शक्ति है।

स्वविवेक की शक्तियां– यदि राज्यपाल के विचार में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो तो वह उसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति को देकर, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह न लेकर, राज्यपाल स्वयं निर्णय करता है। इसलिए इसे स्वविवेक संबंधी शक्ति कहा जाता है।

यदि राज्यपाल की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। विधान सभा भी या तो भंग कर दी जाती है अथवा स्थगित कर दी जाती है। इस काल में राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है। एक परिस्थिति यह भी हो सकती है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहे। क्योंकि राज्यपाल यह निर्णय स्वयं अपने आप लेता है।

मुख्यमंत्री

प्रत्येक राज्य में, राज्यपाल के दायित्व निर्वहन में सहयोग और सहायता के लिए, एक मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है।

मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रीपरिषद में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के लिए राज्य विधायिका के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां– राज्य में मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति लगभग वही होती है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री की होती है।

1. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया है। उसी की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का विभाजन भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।

2. मुख्यमंत्री मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय बनाता है तथा मंत्रिपरिषद का मार्ग दर्शन करता है।

3. राज्य सरकार के कानून तथा नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। उसकी स्वीकृति से ही कोई मंत्री सदन में विधेयक प्रस्तावित करता है। वह विधानसभा के अंदर तथा बाहर, दोनों जगह सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता होता है।

4. संविधान के अनुसार प्रशासन, राजकीय मामले तथा प्रस्तावित विधेयकों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व मुख्यमंत्री का है।

जयपुर में बने अमर जवान ज्योति मेमोरियल स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देती राज्यपाल मार्गरेट अल्वा

पंचायती राज

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तहसील, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है, भले ही इसे विभिन्न नाम से विभिन्न काल में जाना जाता रहा हो। पंचायती राज व्यवस्था को मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी जारी रखा गया। ब्रिटिश शासन काल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका।

ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति पर जाँच करने तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए 1882 तथा 1907 में शाही आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया, जिसके कारण 1920 में संयुक्त प्रान्त, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाये गये। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी संघर्षरत लोगों के नेताओं द्वारा सदैव पंचायती राज की स्थापना की मांग की जाती रही।

पंचायती राज का इतिहास– सन् 1950 में जब भारतीय संविधान की स्थापना हुई तो संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया।

गांधी जी पंचायत को सामुदायिक विकास का एक बड़ा अंग मानते थे। गांधी जी से प्रभावित होकर 1952 में भारत सरकार ने पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन इस कार्यक्रम में जनता के पास किसी भी तरह की शक्ति नहीं थी। इसलिए यह कार्यक्रम असफल रहा। फिर 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ की गई वह भी असफल रही।

पंचायती राज कैसा हो और उसके पास कौन सी शक्तियां हो इसके लिए लगातार समितियों का गठन करके उनसे सलाह ली गई। इस दौरान जिन समितियों ने अपनी सिफरिशें रखी थी। वे ये समितियां हैं

- बलवंत राय मेहता समिति–1957

- के. संथानम समिति-1963
- अशोक मेहता समिति-1978
- जे. वी. के राव समिति-1985
- एल. एम. सिंघवी समिति-1986

इन सभी समितियों ने पंचायती राज को तीन स्तर पर स्थापित करके उन्हें विभिन्न शक्तियां देने की सिफारिशें रखी। पंचायती राज के तीन स्तर थे।

1. जिला स्तर पर जिला परिषद
2. ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति
3. गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत

पंचायती राज के इस प्रतिरुप को सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने नागौर जिले से पंचायती राज के इस प्रतिरुप की नींव रखी। प्रारंभिक रुप में पंचायतें किसी न किसी तरह से काम कर रही थीं, मगर उनको बहुत अधिकार प्राप्त नहीं थे। पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए 24 अप्रैल 1993 भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायतों को 29 विभागीय कार्य करने के अधिकार दे दिये गये।

क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया था। जिसके तहत राज्य सरकार को निम्नलिखित अनिवार्य जिम्मेदारियां सौंपी गई।

1. ग्राम सभाओं के गठन करे।

2. जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे की रचना करे।

3. जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों के सभी पदों के लिए चुनाव करवाये।

4. पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दे।

5. पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका हो इसलिए एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दे। जिसे वर्ष 2009 में बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया।

पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर– पंचायती राज व्यवस्था ने अपनी त्रिस्तरीय व्यवस्था को बनाये रखा। जिसमें

1. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत
2. पंचायत समिति
3. जिला परिषद

को शामिल किया गया।

ग्राम सभा– गांवों के सभी वयस्क (18 वर्ष से अधिक) निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अतः देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह अकेली संस्था है।

सामान्यतः ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठकें/सभाएं होती हैं। इन सभाओं में ग्राम सभा लोगों की आम सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा, लेखा निरीक्षण अथवा पंचायतों की प्रशासनिक रिपोर्ट को सुनती है। यह पंचायतों द्वारा लिए जाने वाली नई विकासात्मक परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करती है। यह गांव के गरीब लोगों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा आदि की सहायता दी जा सके।

ग्राम पंचायत– देश में पंचायती राज का निचला स्तर ग्राम स्तरीय पंचायत है। अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या को गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। अतः यह प्रत्येक गांव के लिए भिन्न-भिन्न होती है। ग्राम

पंचायत का चुनाव एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर करवाए जाते हैं। अलग-अलग राज्यों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष को अलग-अलग नाम से जैसे सरपंच, प्रधान अथवा मुखिया पुकारा जाता है। ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष भी होता है। दोनों को पंचायत के सदस्य निर्वाचित करते हैं।

ग्राम पंचायत महीने में एक बार अनिवार्य रुप से अपनी बैठक करती हैं। जिनमें गांव के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। पंचायतें सभी स्तरों पर अपना काम चलाने के लिए समितियां गठित करती हैं।

पंचायत समिति– पंचायती राज का दूसरा अथवा मध्यम स्तर पंचायत समिति है जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। पंचायत समिति की सदस्य संख्या भी समिति क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करती है। पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। परंतु सभी पंचायतों के अध्यक्ष एक ही समय पर पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि एक समय पर कुछ ही ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं।

कुछ पंचायतों में क्षेत्र से संबंधित विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों और सांसदों को भी समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रायः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है।

जिला परिषद– जिला स्तर पर जिला परिषद पंचायती राज का सबसे उच्च स्तर है। इस संस्था के अलग कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं जिनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है क्योंकि यह भी जनसंख्या पर आधारित है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। जिला से सबंध रखने वाले सांसद, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी जिला परिषद का सदस्य नामांकित किया जाता है।

जिला परिषद के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद की बैठक महीने में एक बार की जाती है। विशेष मामलों पर चर्चा के लिए विशेष बैठक की जा सकती हैं।

पंचायत के कार्य– पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक विकास के सभी कार्यों को

शामिल किया गया है। ग्राम स्तर पर सफाई, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि से संबंधित नागरिक कार्य ग्राम पंचायतों के अनिवार्य कार्य हैं।

दरअसल गांव के विकास संबंधित सभी कार्यों के लिए पंचायत एक बड़ा माध्यम है। गांव और आसपास सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगवाना, पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करना, बाल और प्रसूति कल्याण केन्द्र स्थापित करना, कृषि को बढ़ावा देना, जैसे कार्य पंचायत के दायरे में आते हैं।

संविधान में हुए 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायत के कार्यों का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। वार्षिक विकास योजनाएं बनाना, वार्षिक बजट, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाना, गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को लागू करवाना एवं देख-रेख करने जैसे कार्य अब पंचायतों द्वारा किए जाने की आशा की जाती है। ग्राम सभा के माध्यम से लाभान्वित होने वालों का चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत, परिष्कृत चूल्हे, बायो-गैस प्लान्ट्स भी कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों को सौंप दिए गए हैं। जबकि कुछ राज्य

सरकार अपने राज्य में पंचायतों को विशेष जिम्मेदारियां भी सौपती है। उदाहरण के तौर पर:-
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010 में पंचायत को पांच विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह विभाग हैं

1. प्राथमिक शिक्षा विभाग- प्राथमिक विद्यालय
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-उप स्वास्थ्य केन्द्र, ए.एन.एम
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- ग्राम पंचायत कार्यालय
4. महिला एवं बाल विकास विभाग-आंगनबाड़ी केन्द्र
5. कृषि विभाग-किसान सेवा केन्द्र

इन विभागों के कार्यक्रम को गांव व पंचायत स्तर पर लागू करने व देखरेख का अधिकार अब पंचायत के पास है।

पंचायत समिति के कार्य- पंचायत समितियां विकास कार्यों का केन्द्र हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी उनके शीर्ष पद पर होता है। कृषि, भूमि सुधार, पानी के संग्रहण का विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे कार्य इनको सौंपे गए हैं। दूसरे प्रकार के कार्यों का संबंध

कुछ विशिष्ट योजनाओं को लागू करने से है जिनके लिए मानराशि निश्चित होती है। इसका अर्थ है कि पंचायत समिति को निश्चित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है। स्थान अथवा लाभभोगियों को चुनने का अधिकार पंचायत समिति के पास उपलब्ध है।

जिला परिषद के कार्य– जिला परिषद जिले की पंचायत समितियों को जोड़ती है। यह उनकी गतिविधियों के साथ ताल मेल करती है और उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करती है। यह जिला की योजनाएं बनाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति की योजनाओं का जिला योजनाओं में समाकलन करती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने, भू-जल संसाधनों के दोहन, ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ाने तथा वितरण और रोजगार प्रदान करने वाली गतिविधियों को शुरू करने, सड़के बनाने तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी जिला परिषद की ही है। छात्रावास, अनाथालयों और निर्धन गृह, रैन बसेरे, महिलाओं और बच्चों के कल्याण गृह, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य इत्यादि की जिम्मेदारी भी जिला परिषद की ही है।

शहरी स्थानीय निकाय

हमारे कस्बों और शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाएं होती हैं जिन्हें नगरपालिकाएं और नगर निगम कहते हैं। एक शहरी क्षेत्र प्रायः सघन और अधिक आबादी वाला क्षेत्र होता है। नगर पालिका प्रशासन आधारभूत नागरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, पानी की निकासी, कूड़े का निपटान, जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों का निर्माण और रख–रखाव तथा सफाई आदि का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक सरकार, नगरपालिकाओं, जिनका चुनाव स्थानीय लोग करते हैं, को कर लगाने, जनता से कर और जुर्माना वसूलने का अधिकार देती है। भवन–निर्माण, सड़क निर्माण एवं कूड़े के निपटान को नियमित करके नगर जीवन को सुव्यवस्थित करते हैं। नारी एवं बाल विकास, झुग्गी बस्तियों का विकास कार्य भी इनके माध्यम से होता है। नगरपालिकाओं ने शहरी विकास एवं जन सुविधाओं के स्थानीय प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को संभव बनाया है।

पंचायती राज व्यवस्था की तरह ही शहरी स्थानीय निकाय में समय–समय पर बदलाव होते रहे। विभिन्न आयोगों और कमेटियों की सिफारिशों और सुझावों के परिणामस्वरुप संविधान का 74वां संशोधन

एक्ट 1992 लागू किया गया। इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना, उनका सशक्तिकरण और उनकी कार्यप्रणाली को वैधानिक रुप दिया।

इसके तहत

1. छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निकायों का गठन करना।

2.शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करना।

3. महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना।

4. 73वें संशोधन के अनुसार, पंचायती राज स्वशासी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु गठित राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के भी चुनाव करवाएगा।

5. पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय मामलों को देखने के लिए गठित राज्य वित्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासी निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखेगा।

6. शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों के संगठन को समझ पाने के लिए हमें दिल्ली नगर निगम का उदाहरण लेना चाहिये। यह निगम नई दिल्ली के थोड़े से भाग को छोडकर जहां संघीय सरकार स्थित है, पूरी दिल्ली क्षेत्र को देखती है। निगम के 134 निर्वाचित सदस्य हैं (पार्षद)। उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय वार्ड से सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए कई सीटें आरक्षित की जाती हैं। इन्हें पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें दिल्ली विधान सभा द्वारा मनोनीत 15 सदस्य होते हैं।

निगम कई कमेटियों के माध्यम से काम करती है। स्थायी समिति उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। निगम का राजनीतिक मुखिया महापौर होता है जिसे पार्षद एक वर्ष के लिए चुनते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी, जिसे निगमायुक्त कहा जाता है, इसका प्रशासनिक मुखिया होता है। अधिकांश नगर निगम इसी प्रतिमान पर आधारित हैं।

प्रशासनिक कार्यपालिका

प्रशासनिका कार्यपालिका में राज्य सचिवालय, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और जिले स्तर के नीचे का प्रशासन काम करता है। हम इसे विस्तार से जानेंगे।

राज्य सचिवालय—केन्द्रीय सचिवालय की तरह प्रत्येक राज्य में एक राज्य सचिवालय है। यह राज्य प्रशासन का केन्द्र बिन्दु है। इसमें राज्य सरकार के कई सारे मंत्री और विभाग होते हैं। मंत्रिमंडलीय विभागों का राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है और सचिव किसी एक या दो विभागों का प्रमुख होता है। सचिव आम तौर पर वरिष्ठ आई. ए. एस अधिकारी होता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में सचिवालय विभागों की संख्या अलग–अलग होती है। विभागों की संख्या 15 से 25 तक होती है। कुछ ऐसे विभाग हैं जो सभी राज्यों में एक से होते हैं। ये मुख्य रूप से आम प्रशासन, गृह, वित्त, जेल, वन, कृषि, श्रम और रोजगार, पंचायती राज, लोक कार्य, शिक्षा योजना, समाज कल्याण, भवन निर्माण, परिवहन, सिंचाई और बिजली, कानून, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, उत्पाद और कर रोहण, औद्योगिक विज्ञापन और सूचना आदि।

राज्य प्रशासन– राज्य स्तर पर मंत्री, सचिव और कार्यकारिणी सरकार के प्रमुख तीन घटक हैं। मंत्री और सचिव मिलकर उस संस्था का गठन करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम **सचिवालय** है। दूसरी तरफ कार्यकारी प्रमुख के कार्यालय को **निदेशालय** कहा जाता है। निदेशालय राज्य सचिवालय के अधीन काम करता है। सचिवालय का संबंध नीति निर्माण से है जबकि निदेशालय का संबंध नीति के क्रियान्वयन से है। इस तरह से निदेशालय सरकार की कार्यकारी इकाई है। उनका कार्य उन नीतियों को कार्यरूप देना है जिनका निर्माण सचिवालय करता है। निदेशालय सचिवालय के बाहर स्थित होता है।

निदेशालय प्रमुख के क्रियाकलाप हैं:

- मंत्रियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- विभाग का बजट तैयार करना।
- जिला स्तरीय विभागीय कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण।
- पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्यों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देना।
- विभागीय अधिकारियों के लिए सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

जिला प्रशासन– प्राचीन काल से भारत में जिला प्रशासन की मूल इकाई रही है। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह हिस्सा है जो जिले के सीमित क्षेत्र में काम करता है। जिला प्रशासन में सरकार के सभी तरह के काम होते हैं। यह अभी भी भारतीय प्रशासन का केन्द्र बना हुआ है। योजना और विकास कार्यों की शुरुआत होने से जिला प्रशासन की भूमिका जिला स्तर से देश के निर्माण के लिए अधिक बढ़ गई है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज लागू किए जाने से जिला प्रशासन की प्रकृति बुनियादी तौर पर बदल गई है।

केन्द्र और राज्य सरकारें मुख्यालयों से अपनी नीतियों को प्रत्यक्ष तौर पर क्रियान्वित नहीं कर सकती। इसलिए राज्य क्षेत्रीय खंडों और जिलों में बंटा हुआ है। सरकार के वास्तविक कार्यों का संचालन जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से लोग सरकार के कार्यों का मूल्याकंन करते हैं। राज्य या केन्द्र की तुलना में लोग जिला स्तरीय प्रशासन के प्रत्यक्ष सम्पर्क में अधिक आते हैं।

जिला प्रशासन के कार्य– जिला प्रशासन की भूमिका को जानने के लिए कुछ बिंदुओं को जानना जरूरी है। जिला प्रशासन का मुख्य काम लोगों की सुरक्षा और उनके सभी अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इसमें

कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और आपराधिक तथा सिविल न्याय प्रशासन शामिल है।

राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण है। इसमें जमीन का राजस्व, सिंचाई, कृषि, आयकर, उत्पाद, शुल्क, मनोरंजन कर आदि सम्मिलित हैं। इसमें कोष का संचालन, भूमि सुधार, जमीन का अधिग्रहण, जमीन का प्रबंधन, जमीन का रिकॉर्ड आदि शामिल हैं। सरकार ने कृषि, सहायता और उद्योग के क्षेत्र में कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं। समाज के कमजोर तबकों को विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लोगों को संतुष्टि के लिए सक्षमता के साथ जिला प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है।

विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति दूर-दराज में स्थित गांवों में हो रही है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिला प्रशासन लोगों की मदद करता है।

जिलाधीश– जिला, जिला अधिकारी के अंतर्गत होता है जिसे जिलाधीश कलक्टर कहते हैं। यह प्रमुख प्रशासनिक पद होता है। वह जिले में सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है।

जिलाधीश की भूमिका और कार्य– राजस्व संग्रह

जिलाधीश जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है। उसका सबसे बड़ा काम भू–राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह है। इसके लिए वह निम्नलिखित कार्य करता है:

1. भू–राजस्व का संग्रह।
2. अन्य सरकारी बकाया राशि का संग्रह करना।
3. **तकोवी** (यह किसानों को दी जाने वाली अग्रिम रकम है। यह अग्रिम राशि का ऋण फसल बोने के समय या खराब मौसम के दौरान या किसानों की अपनी खेती में विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। फसल तैयार होने पर इस ऋण को वापस कर देना पड़ता है) का वितरण और उगाही।
4. जमीन का रिकॉर्ड रखना।
5. ग्रामीण आंकड़ों का संग्रह।
6. जमीन अधिग्रहण अधिकारी के अधिकारों, जैसे कालोनी, उद्योग, झुग्गी–झोपड़ी हटाने आदि

उद्देश्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण।

7. जमीन सुधार का क्रियान्वयन।
8. कृषि कार्य करने वाले लोगों के कल्याण की देखभाल।
9. प्राकृतिक आपदा जैसे आग, सूखे और बाढ़ आदि के दौरान फसलों की बर्बादी का मूल्याकंन और राहत की अनुशंसा करना।
10. कोष और उपकोष की निगरानी।
11. स्टॉम्प कानून का क्रियान्वयन।
12. पुर्नवास अनुदान की अदायगी।
13. सरकारी सम्पत्तियों का प्रबंधन।
14. निचले अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध राजस्व अपील पर सुनवाई।
15. जमीनदारी उन्मूलन मुआवजे की अदायगी।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना– जिलाधीश अपने जिले के कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें तीन तत्व होते हैं- **पुलिस, न्यायपालिका और जेल**। जिलाधीश के रूप में वह निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करता है:

1. निचले प्रशासन का नियंत्रण और निगरानी।

2. सार्वजनिक शांति पर खतरे की हालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना।

3. जेलों की निगरानी करना। कैदियों को पेरोल पर रिहा करना। कैदियों को उच्च स्तर या वर्ग प्रदान करना। सरकार को वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट देना।

4. हथियार, होटल, विस्फोटक पदार्थ आदि के लाइसेंस जारी करना, निलंबित करना या खारिज करना।

5. जिला पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करना।

6. मनोरंजन कर अधिनियम और प्रेस अधिनियम को क्रियान्वित करना।

7. फैक्ट्री अधिनियम और ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत दोषियों को सजा देना।

8. बिना दावेदारी वाली संपत्ति के निपटाने का आदेश देना।

9. वन के विकास के लिए योजनाओं की अनुशंसा करना।

10. स्थानीय निकायों की निगरानी और नियंत्रण।

जिलाधीश के अन्य महत्वपूर्ण कार्य

1. जिला स्तर पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर और समन्वयकर्ता की भूमिका।

2. प्रत्येक 10 साल पर होने वाली जनगणना का वह संचालन कराता है।

3. जिला गजट का निर्माण और प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा।

4. बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन और घर बनाने का ऋण उपलब्ध कराता है।

5. जिले के नगर निकायों की निगरानी और नियंत्रण।

6. प्रोटोकॉल ऑफिसर (यह वह ऑफिसर होता है जो मंत्रियों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग, विभाग आदि के अध्यक्षों को जिले के दौरे के दौरान विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराता है।) के रूप में काम करना।

7. वह छोटी बचत योजनाओं और राष्ट्रीय रक्षा कोष (एन. डी. एफ) में योगदान के लिए जिम्मेदार होता है।

8. वह कई सारी समितियों जैसे–परिवार नियोजन समिति, लोक शिकायत समिति, योजना समिति, सैन्य. कल्याण कोष समिति आदि का अध्यक्ष होता है।

10. चरित्र प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, राजनीतिक पीड़ित का प्रमाण पत्र आदि जारी करता है।

12. जिला प्रशासन की सभी अन्य शाखाओं की निगरानी।

जिला स्तर से नीचे का प्रशासन– प्रशासनिक उद्देश्य से जिले को उप–मंडलों, तहसील, परगना या सर्कल और सबसे निचले स्तर पर गांव में विभाजित किया गया है। सब डिविजन का प्रमुख एस. डी. ओ– **एस. डी. एम**/ सहायक जिलाधीश होता है। अपने सब डिविजन में वह राजस्व के साथ–साथ कानून और व्यवस्था संबंधी कार्यों को भी अंजाम देता है। राजस्व के मामलों में वह जिलाधीश और तहसीलदार के बीच सेतु का काम करता है। वह कानून और व्यवस्था के मामले में डी. एम. और स्टेशन पुलिस आफिसर के बीच भी सेतु का काम करता है। सामान्य प्रशासन, कोष, भू–राजस्व, भू–रिकार्ड आदि उद्देश्यों के लिए तहसील बुनियादी इकाई है। तहसील में लगभग 100 गांव होते हैं। विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन में उसकी सहायता निम्नलिखित अधिकारी करते हैं

खंड विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.)– भारत में वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए तहसील को कई ब्लॉकों में बांटा गया था। ये ब्लॉक ग्रामीणों के सीधे संपर्क में होते हैं और विकास संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेज गति और प्रभावशाली तरीके से करते हैं। बी. डी. ओ. मुख्य समन्वयकर्ता होता है जो प्रखंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। वह सरकारी सेवक है जिसका चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। वह तहसीलदार की निगरानी में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वह पंचायती राज व्यवस्था से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है। वह प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति के सचिव के रूप में काम करता है।

बी. डी. ओ. के कार्य– प्रखंड समिति की बैठके बुलाना और उसका मसौदा तैयार करना तथा रिकॉर्ड बनाए रखना।

2. प्रखंड स्तर पर बजट तैयार करना।

3. विकास कार्यों के लिए कार्यक्रम तैयार करना और इसके क्रियान्वयन में मदद करना।

4. वह विभिन्न एजेंसियों जैसे कृषि, मत्स्य, पशु-पालन आदि के कार्यों की निगरानी करता है।

बी. डी. ओ. के दो मुख्य कार्य हैंः

1. विकास प्रबंधन
2. पंचायत समिति का प्रबंधन

बी. डी. ओ. सिंचाई और सड़क निर्माण जैसे कार्यों से जुड़े विकास कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होता है। उसे उन योजनाओं की निगरानी करनी पड़ती है, जिनसे अनुसूचित जाति और जनजातियों को मदद मिलती है। पंचायत समितियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बी. डी. ओ. की ही होती है। वह जिलाधीश को सीधे रिपोर्ट करता है।

विधायिका

विधानमंडल– अधिकतर राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा होती है। इसका अर्थ यह है कि इन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। जबकि कई राज्यों में विधानमंडल के दो सदन होते हैं– विधानसभा और विधान परिषद। जहां दो सदन होते हैं उसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं।

पांच राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। विधान सभा को निचला सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उपरी सदन कहते हैं। जिस प्रकार केन्द्रीय स्तर पर लोकसभा को अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा को शक्तिशाली बनाया गया है।

विधानसभा– प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधान सभा के सदस्य चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उनका निर्वाचन राज्य में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए

- वह भारत का नागरिक हो
- वह 25 वर्ष का हो
- उस का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए
- किसी लाभ के पद पर अथवा सरकारी पद पर कार्यरत न हो।

विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती। किंतु बहुत छोटे राज्यों को न्यूनतम संख्या से भी कम सदस्य रखने की स्वीकृति दी गई है। जैसे गोवा की विधानसभा में केवल 40 सदस्य हैं।

अध्यक्ष (सभापति)– विधानसभा के सदस्य अपना सभापति निर्वाचित करते हैं जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष सदन के बैठकों की अध्यक्षताा करता है एवं इसकी कार्यवाही को चलाता है। वह सदन का अनुशासन बनाए रखता है तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बोलने की स्वीकृति प्रदान करता है। वह विधेयकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान कराता है तथा परिणाम घोषित करता है। किंतु मत समान होने की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों का सभापतित्व करता है। उपाध्यक्ष भी सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

विधान परिषद– विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन है। अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं हैं। बहुत कम राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। वर्तमान में पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद हैं जबकि 23 राज्यों में केवल एक सदन है अर्थात केवल विधान सभा ही है।

विधान परिषद ब्रिटिश काल की विरासत है। यदि किसी राज्य की विधान सभा जहां विधान परिषद नहीं है, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करके द्वितीय सदन अर्थात विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद के पास भेजे, तो संसद उस स्थिति में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में विधान परिषद है परंतु वे चाहते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए तो संबंधित राज्य को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजना होता है। तब संसद एक प्रस्ताव पारित करेगी कि दूसरा सदन समाप्त कर दिया जाए। इसी तरीके से पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है।

संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए परंतु यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। जम्मू तथा कश्मीर इस नियम का अपवाद हैं जहां परिषद की सदस्य संख्या केवल 36 है।

योग्यताएं– कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य हो सकता है, अगर वह निम्नलिखित योग्ताएं पूरी करता हो–

- वह भारत का नागरिक हो
- 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो
- राज्य का पंजीकृत मतदाता हो
- उसके पास कोई लाभ का पद न हो।

विधान परिषद आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत होती है। परिषद के एक तिहाई सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे एक तिहाई सदस्य एक निर्वाचक मण्डल द्वारा तय किए जाते हैं। यह निर्वाचक मण्डल नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड तथा राज्य की अन्य स्थानीय शासन की संस्थाओं के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। कुल सदस्यों का बारहवां भाग राज्य के स्नातकों द्वारा निर्वाचत होता है।

कुल सदस्यों का दूसरा बारहवां भाग राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचत होता है। शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं।

अध्यक्ष (सभापति) – विधान परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है जिसे सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। विधान परिषद की कार्यवाही सभापति चलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है।

राजस्थान विधानसभा, जयपुर

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सबसे बड़ी इकाई होते हैं। ये उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक अंग होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। किसी राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय होने के कारण ये उच्च न्यायालय अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को दिशा-निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालय मुख्यतः अपील करने के लिए होते हैं। जिला स्तर के न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील ये उच्च न्यायालय सुनते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता तथा कार्य प्रणाली, आदि इन उच्च न्यायालयों के दिशा-निर्देशों पर ही होती है।

उच्च न्यायालय– प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक **संयुक्त उच्च न्यायालय** भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के केन्द्र शासित प्रदेश के लिए केवल एक उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में है। इसी प्रकार गुवाहाटी में स्थित उच्च न्यायालय सात उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,

त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है।

अधीनस्थ न्यायालय– भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ या निम्न-स्तरीय न्यायालय हैं। ये सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट्स तथा राजस्व कोर्ट्स हैं। इनमें क्रमशः सिविल, आपराधिक तथा राजस्व संबंधित मामलों की सुनवाई होती है।

सिविल मामले वे मामले हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जायदाद को लेकर झगड़ा है। किसी समझौते का उल्लंघन, तलाक या मकान मालिक-किरायेदार के झगड़ों का भी सिविल कोर्ट में निपटारा किया जाता है। इनमें किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती क्योंकि कानून का कोई उल्लंघन इन मामलों में नहीं किया जाता।

आपराधिक मामले कानून के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। इनमें चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकतरी, शारीरिक आघात तथा हत्या, आदि आते हैं। ये

मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ निचली अदालतों में दायर किये जाते हैं। इस प्रकार के मामलों में यदि अभियुक्त को दोषी पाया जाता है तो उसे दंड के रूप में हर्जाना, जेल या मौत की सजा भी हो सकती है।

राजस्व मामले जिले में कृषि भूमि पर राजस्व से संबंधित मामले हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता– अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर करता है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में न्यायिक अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से होता है। उन्हें राज्यपाल द्वारा अंतिम रुप में नियुक्त किया जाता है।

आपके नोट्स

आपके नोट्स

उरमूल सीमांत समिति

उरमूल सीमांत समिति लोगों के जीवन की सामाजिक और आर्थिक दशा के विकास के लिए संगठित होकर काम करने वाली संस्था मानी जाती है। वर्ष 1988 से ही कठोर और दुर्गम समझे जाने वाले भारतीय थार मरुस्थल के वंचित और गरीब समुदाय के बच्चों का संपूर्ण विकास ही उरमूल सीमांत के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल रहा है। बच्चों की सही देखभाल, शिक्षा–दीक्षा, सुरक्षा तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं अधिकारों के लिए उरमूल परिवार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से अपने कार्यक्रमों के जरिए हजारों बच्चों के साथ काम कर रहा है।

Plan